D. C. (South) 28/Dec/10
Date.......
Diary No. 22097

रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन)-04/0009/2003—05 भारत सरकार REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

Office of the S.D.M. (Delhi South), New Delhi
Dy. No. 22097
Date 30/12/10

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 44] दिल्ली, नवम्बर 5—नवम्बर 11, 2010, बृहस्पतिवार/कार्तिक 14—कार्तिक 20, 1932 [रा.रा.क्षे.दि. सं 190, 192,193]

No. 44] DELHI, NOVEMBER 5—NOVEMBER 11, 2010, THURSDAY/KARTIK 14—KARTIK 20, 1932 [N.C.T.D. No. 190, 192, 193]

भाग —IV
PART –IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं

Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग

(कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

सं. फा. स वि/03/स.अ./उत्तर/सह/1090.— दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम—3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, रिवियेरा अपार्टमेन्ट्स ओनर्स सहकारी हाउसिंग समिति (03/अ.) को धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम/3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते है, तथा प्रशासक के कार्यकाल की अवधि दिनांक 11-9-2011 तक बढ़ाई जाती है अथवा जब तक प्रजातन्त्रीय व्यवस्था लागू ना हो जाए या इनमें से जो भी पहले हो ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

वी. के . बैनीवाल, विशेष पंजीयक (सहकारिता)

DEPARTMENT OF COOPERATIVE

(OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2010

No. F. RCS/03(H)/RAOCHS/AR(N)/Coop. 1090.—In exercise of the powers conferred by Section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act of 2004), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby exempts the Rivera Apartment Owners Cooperative Society Ltd. (03/H) from the provisions of Section 37 (1) (b) and accordingly extends appointment of the term of Administrator of the said society up to 11-09-2011 or till the democratic set-up is restored in the society, which ever is earlier.

By Order and in the Name of
The Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

V.K. BENIWAL, Spl. Registrar (Cooperative)

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 अगस्त, 2000

सं. 446/गजट/VI.ई.2(ए)2000.—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) की धारा 265, पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम 6) की धारा 30 के साथ पठित, के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीशगण सभी वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों को उनके स्थानीय अधिकारिता की सीमा के अन्दर संज्ञान लेने के लिए सहर्ष अधिकृत करते हैं एवं जिला न्यायाधीशों को, पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 30 एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 265 के अन्तर्गत वर्णित प्रकृति की कार्यवाहियों को, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों को उनके अपने-अपने नियंत्रण के अधीन स्थानांतरित करने के लिए भी अधिकृत करते हैं ।

HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th August, 2000

No. 446/Gaz./VI.E.2(a)2000.—In exercise of the powers conferred under Section 265 of the India Succession Act, 1925 (39 of 1925) read with section 30 of the Punjab Courts Act, 1918 (Punjab Act 6 of 1918), Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble judges of this Court have been pleased to authorise all the Senior Civil Judges to take cognizance within the limits of their local jurisdiction and also authorise the District Judges to transfer to the Senior Civil Judges under their respective control the proceedings in the nature mentioned under section 30 of the Punjab Courts Act, 1918 and section 265 of the Indian Succession Act, 1925.

सं. फा. 442/गजट/VI-ई. 2(ए) 2000.—पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम 6) की धारा 39 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिये विस्तृत है, तथा अधिसूचना सं. 300/गजट/VI.ई.2(ए) 2000, दिनांक 26 मई, 2000 के अधिक्रमण में इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीशगण सहर्ष निर्देश देते हैं कि प्रत्येक सिविल जिला की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायाधीश के द्वारा पारित डिक्रियों अथवा आदेशों से जिला न्यायालय को की जाने वाली रखी हुई अपीलें,

(क) रु. 1000 से अनधिक मूल्य के एक धनवाद में,

(ख) रु. 250 से अनधिक मूल्य के एक भूमिवाद में,

(ग) रु. 500 से अनधिक मूल्य के एक अवर्गीकृत वाद में,

सम्बद्ध सिविल जिला के ऐसे जिले के अन्तर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को उस तिथि से जब से कथित अधिकारी कार्यभार ग्रहण करते हैं, प्रस्तुत की जा सकेंगी ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीशगण सहर्ष निर्देश देते हैं कि ऐसे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को ऐसी सभी प्रस्तुत अपीलों के प्रयोजन हेतु एक जिला न्यायालय समझा जायेगा।

F. No. 442/GAZ./VI.E.2(a)2000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 39 of the Punjab Courts Act, 1918 (Punjab Act 6 of 1918) as extended to the National Capital Territory of Delhi, and in supersession of Notification No. 300/Gaz./VI.E.2(a)/2000 dated, the 26th May, 2000, Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges of this Court have been pleased to direct that within the local limits of each Civil District, appeals lying to the District Court from decrees or orders passed by any Civil Judge,

(a) In a money suit of value not exceeding Rs .1,000,

(b) In a land suit of a value not exceeding Rs. 250,

(c) In a unclassed suit of a value not exceeding Rs. 500

may be preferred to the Senior Civil Judges of the concerned Civil District exercising the jurisdiction within such Civil District, with effect from the date the said officer assumes charge.

The Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges are further pleased to direct that the Court of such Senior Civil Judges shall be deemed to be a District Court for the purpose of all such appeals preferred to it.

सं. फा. 443/गजट/VI-ई.2(ए) 2000.—पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 (1918 का पंजाब अधिनियम 6) की धारा 39 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिये विस्तृत है, तथा अधिसूचना सं. 300/गजट/VI.ई.2(ए) 2000, दिनांक 26 मई, 2000 के अधिक्रमण में इस न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीशगण सहर्ष निर्देश देते हैं कि प्रत्येक सिविल जिला की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायाधीश के द्वारा पारित डिक्रियों अथवा आदेशों से जिला न्यायालय को की जाने वाली रखी हुई अपीलें,

(क) रु. 1000 से अनधिक मूल्य के एक धनवाद में,

(ख) रु. 250 से अनधिक मूल्य के एक भूमिवाद में,

(ग) रु. 500 से अनधिक मूल्य के एक अवर्गीकृत वाद में,

सम्बद्ध सिविल जिला के ऐसे जिले के अन्तर्गत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को उस

तिथि से जब से कथित अधिकारी कार्यभार ग्रहण करते हैं, प्रस्तुत की जा सकेगी ।

माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीशगण सहर्ष निर्देश देते हैं कि ऐसे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय को ऐसी सभी प्रस्तुत अपीलों के प्रयोजन हेतु एक जिला न्यायालय समझा जायेगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

एच. आर. मल्होत्रा, निबन्धक

No. (443)/GAZ./VI.E.2(a)2000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 39 of the Punjab Courts Act, 1918 (Punjab Act 6 of 1918) as extended to the National Capital Territory of Delhi and in supersession of Notification No. 300/Gaz./VI.E.2(a)/2000 dated, the 26th May, 2000, Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges of this Court have been pleased to direct that within the local limits of each Civil District, appeals lying to the District Court from decrees or orders passed by any Civil Judge,

(a) In a money suit of value not exceeding Rs .1,000,

(b) In a land suit of a value not exceeding Rs. 250,

(c) In a unclassed suit of a value not exceeding Rs. 500

may be preferred to the Additional Senior Civil Judge of the concerned Civil District exercising the jurisdiction within such Civil District, with effect from the date the said officer assumes charge.

The Hon'ble the Chief Justice and Hon'ble Judges are further pleased to direct that the Court of such Senior Civil Judge shall be deemed to be a District Court for the pupose of all such appeals preferred to it.

By Order of the Court,

H.R. MALHOTRA, Registrar

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 10 नवम्बर, 2010

सं. फा.10 (783)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./08/5942.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अपोलो म्युनीच हेल्थ इन्श्योरेन्स कम्पनी लि., पहली मंजिल, बी.के. राय कोर्ट, 6 और 7, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002, द्वारा अग्रिम मुद्रांक शुल्क के रूप में रुपये 10,00,000 (रुपये दस लाख) जो कि उनके द्वारा 01 नवम्बर, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद या उक्त मुद्रांक शुल्क के पूरी तरह उपयोग होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र जो कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, इस कार्यालय में जमा करेगी ।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 10th November, 2010

F.No.10(783)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5942.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated, 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Apollo Munich Health Insuarance Company Limited, Ist Floor, B.K. Roy Court, 6 & 7, Asaf Ali Road, Daryaganj, Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000 (Rs. Ten Lac) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period 1-11-2010 to 31-3-2011 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं. फा.10 (1470)/मु.स. (मुख्या)/स.शु./5948.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेलमेक इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि., ए-28, मंगोलपुरी इण्ड्स्टीयल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 9,40,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,48,823 से 6,42,822 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 940 (रुपये नौ सौ चालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1470)/COS(HQ)/Cons. Duty/5948.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wellmake Engineering Company Pvt. Ltd., A-28, Mangol Puri Industrial Area,

Phase-II, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 940 (Rs. Nine Hundred Forty) only on the aggregate value of shares of Rs. 9,40,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 5,48,823 to 6,42,822 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1462)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./5949.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, ई-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 200,00,00,000 (रुपये 50 करोड़ बैंकिंग कम्पनीज के लिए एवम् रुपये 150 करोड़ नन-बैंकिंग कम्पनीज के लिए) मूल्य के अपर टायर-II बोण्ड्स 2010-11 सीरीज जो कि प्रोमिजरी नोट के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 1 से 2000 है; पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 16,00,000 (रुपये सोलह लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No.10(1462)/COS(HQ)/Cons. Duty/5949.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Oriental Bank of Commerce, E-Block, Connaught Place, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 16,00,000 (Rs. Sixteen Lac) only on the aggregate value of Rs. 200,00,00,000 (Rs. 50 Crore to banking companies and Rs. 150 Crore to Non banking comapny) for upper tier II bonds 2010-11 in the nature of promissory note with distinctive Nos. 1 to 2000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1465)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./5950.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ.148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जय पोलीकेम इण्डिया लि., ए-101, लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-110024 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 30,17,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 48,27,981 से 54,31,380 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,01,700 (रुपये तीन लाख एक हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F. No. 10(1465)/COS(HQ)/Cons. Duty/5950.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Jay Polychem India Limited, A-101, Lajpat Nagar-1, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,01,700 (Rs. Three Lac One Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 30,17,00,000 for equity share certificates with distinctive No. 48,27,981 to 54,31,380 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1464)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./08/5951.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री जीडीडी एक्सपर्ट्स इण्डिया प्रा. लि., बी-8/सी, साँवल नगर, सादिक नगर के सामने, नई दिल्ली-110049 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,37,720 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2,13,680 से 2,47,451 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 338 (रुपये तीन सौ अड़तीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

F.No.10(1464)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/5951.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. GDD Experts India Private Limited, B-8/C, Sanwal Nagar, Opp. Sadiq Nagar, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 338 (Rs. Three Hundred Thirty Eight) only on the aggregate value of shares of Rs. 3,37,720 for equity share certificates with distinctive Nos. 2,13,680 to 2,47,451 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (1436)/मु.स. (मुख्या.)/स.शु./5952.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नीयोलाइट जेडकेडबल्यू लाइटिंग्स प्रा. लि., बी-24, मायापुरी,

फेज-I, नई दिल्ली-110064 द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 11,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1274745 से 1274746 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,10,000 (रुपये एक लाख दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
आर. के . मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण)

F.No.10(1436)/COS(HQ)/Cons. Duty/5952.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No.2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Neolilte ZKW Lightings Private Limited, B-24, Mayapuri Phase-I, New Delhi-110064 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,10,000 (Rs. One Lac Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 11,00,00,000 for equity share certificates with distinctive No. 1274745 to 1274746 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
R.K. MISRA, Special Inspector General (Registration)

4378 DG/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.